उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-4/2018/177/71-1-2018-जी-227/2016
लखनऊ : दिनांक 15 जनवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2017-18 में मेडिकल कालेज, बहराईच के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एमई/बजट/2017-18/3458, दिनॉक 14-12-2017 में की गई संस्तुति के दृष्टिगत अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु एकमुश्त प्राविधानित धनराशि रू0 515.00 करोड़ में से अवशेष धनराशि 2,78,37,52,000/- (रू0 दो अरब अट्ठहत्तर करोड़ सैतीस लाख बावन हजार मात्र) के सापेक्ष रू0 55,00,00,000/- (रू0 पचपन करोड़ मात्र) (रू0 33.00 करोड़ केन्द्रांश तथा रू0 22.00 करोड़ राज्यांश) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने संबंधी शासनादेश संख्या-129/2017/3767/71-1-2017-जी-227/2016, दिनॉक 01-12-2017 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

शमीम अहमद खान
विशेष सचिव

संख्या:- 4/2018/ 177(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन-अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।